राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 454/2024
बृजेश कुमार शिहरा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गोतम, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार, जालसू जिला जयपुर ग्रामीण से तहसीलदार गंगापुर सिटी से तहसीलदार भू–अभिलेख कोटा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्थानान्तरण तहसीलदार, जालसू जिला जयपुर ग्रामीण से तहसीलदार गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.02.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात 6 दिन बाद अल्प समय में अपीलार्थी का पुनः आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है।
3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का तर्क रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोक सभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण और

पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2023 को दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिसमे मद संख्या 3 निम्न प्रकार से है :–

"3. Hence, the Commission has decided that no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district (revenue district) of posting:-

(i) if she/he is posted in her/his home district.

(ii) if she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before 30th June, 2024

While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted. "

4. उनका तर्क है कि बाद में चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे कर्मचारियों को जो सीधे तौर पर चुनाव से सम्बन्ध रखते हो, उन्हें तीन वर्ष हो जाने पर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बाहर रखा जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तीन वर्ष से अधिक समय से लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

6. अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण स्थानान्तरण तहसीलदार, जालसू जिला जयपुर ग्रामीण से तहसीलदार गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी किया गया था, परन्तु अपीलार्थी पूर्व में भी सवाईमाधोपुर जिले में रह चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी उसी लोकसभा क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का गंगापुर सिटी पदस्थापित नहीं रखने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के जरिये गंगापुर सिटी से अन्यत्र किया गया है। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।

7. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

8.

9. 473/अपील संख्या–454/2024

10. ..... स्थानान्तरण किया गया है।

11.

अपील संख्या –482/2024

12. स्थानान्तरण किया गया है। .....

13. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। उसका स्थानान्तरण 400 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या ..... को अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने की दृष्टि से एवं निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी के द्वारा सीकर में अपना स्थानान्तरण चाहा गया है एवं उसकी प्रार्थना पर उनका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता हृदय रोग से पीडित है, ऐसे में अपीलार्थी को स्थानान्तरण से विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।

14. विचार .....

15. किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसकी प्रार्थना पर किया जाना तब तक गलत नहीं माना जा सकता जब तक उसमें कोई दुर्भावना नहीं रही हो। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी के समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात उसका स्थानान्तरण किया गया है। हमारे सामने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हैं

16. शिल्पी बॉस .....

17. पारिवारिक .....एस.एस. कौरव

18.

434/2024.....

19. स्थानांतरण आदेश.....

20. अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला नीमकाथाना से पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर में किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर सक्षम नहीं है।

21. विचार.....

22. एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिये पंचायती राज नियम–1996 का नियम–290 है। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिलें में स्थानांतरण से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। ऐसे में आलोच्य आदेश अनुचित एवं अवैध है।

23. आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पंचायत समिति, नीमकाथाना में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, फतेहपुर जो सीकर जिले में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है।

24. अतः अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है।

25. अंतरिम रूप से यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिकरण के आगामी आदेश तक आलोच्य आदेश दिनांक ..... अपीलार्थी के स्थानांतरण की हद तक स्थगित रहेगा। .....चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

26. स्टे.....

422/2024

27. स्थानांतरण.....

28. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी जो कि लिपिकीय स्थापन का सदस्य है, उसकी सेवाओं के संबंध में धारा–(2)(iv) में प्रावधान रखा गया है। चूंकि अपीलार्थी लिपिकीय वर्ग स्थापन का कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम–290 के परंतुक में यह प्रावधान है कि .....106 पेज न.....

29. अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे में नहीं किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण चूंकि दांता रामगढ से पाटन किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। पाटन नवगठित जिला नीमकाथाना में आता है, जबकि अपीलार्थी पूर्व में सीकर जिले में कार्यरत है। ऐसें में अपीलार्थी का

सीकर जिले से नीमकाथाना जिले में स्थानांतरण किया जाना उपरोक्त प्रावधान के विपरीत है।

30. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेश तक अपीलार्थी के संबंध में स्थगित रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार नये सिरे से स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

31. स्टे.....

32.

33. .

34.

35. 000000

36. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण पंचायत समिति अलसीसर में कार्यरत है एवं सभी अपीलार्थीगण का एक ही स्थानांतरण आदेश से स्थानांतरण हुआ है। सभी अपीलों में अपीलार्थीगण ने समान आधार दिये है। इस कारण से सभी अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है।

37. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण जिला परिषद झुंझुनू द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है:–

38. 00000000000000000 चार्ट

39. अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से तर्क कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण पंचायत समिति अलशीसर से अन्य पंचायत समिति में किया गया है, परंतु अपीलार्थीगण के स्थानांतरण किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–89(8) की अवहेलना की गई है। उनका तर्क है कि अपीलर्थीगण का स्थानांतरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पंचायत समितियों के प्रधानों से परामर्श नहीं किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से ग्राम पंचायत अलशीसर की पंचायत समिति की स्थापन समिति की बैठक दिनांक 19.02.2024 की बैठक की मिनिट्स की प्रति भी पेश की है, जिसमें पंचायत समिति अलशीसर के प्रधानों से सहमति नहीं लिया जाना माना गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ..... प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि ग्राम सेवक का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण बिना प्रधान से परामर्श किये स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह

भी तर्क है कि राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग ने आदेश दिनांक 04.09.2006 जारी किया है, जिसमें स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिस आदेश का मद संख्या–2 निम्न प्रकार से हैः– 0000000000000000 22222 000000000000

40. उपरोक्त आदेश के आधार पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण करने के लिये संबंधित प्रधानों से सहमति लिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में पंचायत समिति अलशीसर के प्रधान से कोई सहमति नहीं लिया जाना स्पष्ट है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण नियमों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

41. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि 000000000000000 अंडरलाईन 0000000000000

42. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) में नियुक्तियों का प्रावधान है। धारा 89(8) में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। ऐसे में वर्तमान आदेश चूंकि स्थानांतरण से संबंधित है। ऐसे में अपीलार्थीगण के संबंध में धारा 89(8) का प्रावधान नहीं पढ़ा जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान नियमों में रखा गया है। इसके संबंध में संबंधित नियम राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम–289 व 290 है। नियमों में संबंधित प्रधानों से परामर्श किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण उचित है।

43. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

44. वर्तमान आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थीगण को नई पंचायत समितियों में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति दी गई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) स्थानांतरण आदेश से नियुक्ति के संबंध में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आलोच्य आदेश में धारा 89(8)(ii) लागू नहीं होती। हमारे मत में अपीलार्थी के स्थान पर धारा 89(8)(ii) लागू होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) का प्रावधान निम्न प्रकार से हैः– 0000000000000000000

45. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा की गई है, उन मामलों में जब एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से परामर्श किये जाने के पश्चात की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत .....मोहनलाल..... में भी यही मत दिया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण पर दोनों पंचायत समितियों के प्रमुख से परामर्श किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने यह प्रकट किया है कि पंचायत समिति अलशीसर, जहां अपीलार्थीगण पदस्थापित है, उक्त संबंध में वहां के प्रधान से सहमति नहीं ली गई है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थीगण के स्थानांतरण में धारा 89(8)(ii) की अवहेलना की गई है।
46. परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अपलार्थीगण की हद तक आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54. 0000000000000000000000000000000000000
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76. 0

77.